

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfo@chhindwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2023/4277
प्रति,

छिंदवाड़ा दिनांक 23/11/23

मुख्य महा प्रबंधक

वे. को. फि. लि. परासिया

विषय :- वनमंडल पश्चिम छिंदवाड़ा के परिक्षेत्र परासिया के वन कक्ष आर एफ 720 721, एवं पी एफ 720 बी के रकबा 166.41 हे० वन भूमि महादेवपुरी भूमिगत कोयला खदान उत्खनन के व्यपवर्तन का वे.को.फि.लि.मि. का ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक (प्रकरण क्रमांक /FP /MP/MIN/37580/2018)

संदर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-3/2011-एफसी(वोल-1) दिनांक 06.01.2022
2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-19/2023-एफसी दिनांक 16.11.2023
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक /एफ-1/828/2021/10-11/5068 दिनांक 21.11.23

- कक्ष -

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि आपके वनपरिक्षेत्र अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक आर एफ 720 721 एवं पी एफ 720 बी में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-19/2023-एफसी दिनांक 16.11.2023 से महादेवपुरी भूमिगत कोयला खदान की माईनिंग लीज अवधि दिनांक 20/08/1993 से 50 वर्ष या जो भी अधिक हो तक बढ़ाने की अनुमति सशर्त प्रदाय की गई है।

स्वीकृति में अधिरोपित बिंदु क्रमांक II के अनुक्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-3/2011-एफसी(वोल-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एनपीव्ही की राशि प्रति हेक्टेयर 12,28,590.00 लाख की दर से रकबा 166.41 हे. सम्पूर्ण एरिया का राशि रु. 20,44,49,662.00 होता है। किन्तु खदान भूमिगत होने के कारण सम्पूर्ण एरिया का 50 प्रतिशत राशि रु. 10,22,24,831.00 का निर्धारण किया गया है।

बिंदु क्रमांक viii एवं xiv को छोड़कर शेष सभी बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अतः एन.पी.व्ही की राशि रु. 10,22,24,831.00 को ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराते हुये 72 घंटे बाद बैंक स्टेटमेंट, यू.टी.आर. नंबर की छायाप्रति प्रस्तुत करें।

~~सहमत~~ - उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा